न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 54/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मंगलचद सैन पुत्र स्व0 मिश्रीलाल जाति सैन निवासी कंटालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन		1. रमेशचन्द्र सैन पुत्र स्व0 मिश्रीलाल जाति सैन निवासी कंटालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन हाल निवासी नाडको ड्रेसेज़, सुपर शॉपिंग सेन्टर, एस0वी0रोड़, अन्धेरी (वेस्ट) मुम्बई 400059
		2 मैनादेवी पुत्री मिश्रीलाल पत्नी मोहनलाल जाति सैन निवासी कंटालिया हाल आई0ओ0सी0 कॉलोनी, मोड़ भट्टा, सोजत सिटी
		3 बसन्ती पुत्री मिश्रीलाल पत्नी चन्द्रकुमार जाति सैन निवासी कंटालिया हाल निवासी खारची
		4 मंजु पुत्री मिश्रीलाल पत्नी गोविन्द जाति सैन निवासी कंटालिया हाल निवासी पुलिस लाईन, पाली
		5 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री नरपतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5

–: निर्णय :–

दिनांक : 14/9/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम कंटालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 2392 पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 30.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कंटालिया के खसरा नम्बर 333, 344, 345,

अति. जिला कलेक्टर, पाली

346, 347, 348 व 349 कुल खसरा 7 जिसका कुल रकबा 12.8613 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट एवं अपीलाण्ट के पिता स्व0 मिश्रीलाल की खरीदसुदा खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि अपीलाण्ट एवं अपीलाण्ट के पिता द्वारा इन्दा पुत्र डावर जाति सिरवी से दिनांक 05.06.1971 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की है। अपीलाण्ट के पिता मिश्रीलाल का देहान्त लगभग 32 वर्ष पूर्व हो चुका है। अपीलाण्ट के पिता फौत होने पर उक्त भूमि उनके वारिशान के तौर पर अपीलाण्ट एवं उसकी माता विद्यादेवी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी मा0जं0 के समक्ष प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1044 को अपास्त कर दिया तथा पुनः सुनवाई कर नामान्तरकरण दायर करने हेतु प्रकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को प्रतिप्रेषित किया। तहसीलदार मा0जं0 द्वारा पुनः जांच कर जो आदेश पारित किया, उसमें अपीलाण्ट के 1/32वें हिस्से को समायोजित करते हुए स्व0 मिश्रीलाल के पुत्र की हैसियत से अपीलाण्ट का भी हिस्सा दर्ज कर दिया। जब नामान्तरकरण की अपील विचाराधीन थी, उस समय ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विद्यादेवी से दिनांक 09.02.2010 को अपने पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादित करवा लिया, जिसके आधार पर विद्यादेवी के हिस्से के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम दर्ज कर दिया। चूंकि नामान्तरकरण संख्या 1044 भी गलत दर्ज हुआ था, जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वीकार की जा चुकी थी तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा नामान्तरकरण की अपील के विचाराधीन रहते एवं स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद जैर अपील नामान्तरकरण पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। विद्यादेवी का उक्त भूमि में 1/6 हिस्सा ही बनता है, इससे अधिक भूमि को हकतर्क करने का विद्यादेवी को अधिकार ही नहीं था। इस कारण जो हकतर्कनामा निष्पादित किया गया है, वह विधि विरूद्ध है। जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट की खरीदसुदा भूमि है, जिसमें अपीलाण्ट का 1/32वां हिस्सा वक्त खरीद से दर्ज है। इसके अतिरिक्त अपने पिता से विरासत में प्राप्त हिस्से की भूमि अपीलाण्ट के नाम पृथक से दर्ज की जानी थी, जो नहीं की गई तथा अपीलाण्ट के हिस्से को फौतेदगी नामान्तरकरण में समायोजित करते हुए जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील नामान्तरकरण को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने इस अपील के जरिये जिस नामान्तरकरण को चुनौति दी है, उसका अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के आदेश क्रमांक/भू0अ0/10/1572 दिनांक 19.10.2010 की पालना में पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने स्वीकृत रूप से तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के आदेश को चुनौती नहीं दी तथा न ही अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस नामान्तरकरण को चुनौती दी जाती है, वह नामान्तरकरण जिस सक्षम अधिकारी के जिस आदेश की पालना में पारित किया गया है, उस आदेश को चुनौती देनी होती है एवं उस आदेश के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

की पालना करवाने की कार्यावही तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष कर सकता था एवं पटवारी द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर पटवारी हल्का के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सकती थी। जब अपीलाण्ट स्वयं द्वारा यह कथन किया गया है कि तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने आदेश दिनांक 22.09.2014 पारित कर दिया है एवं उसमें यह दर्ज कर दिया कि उस खरीदसुदा भूमि में अपीलाण्ट का 1/32वां हिस्सा बनता है एवं मंगलचंद के पिता मिश्रीलाल के 1/32वें हिस्से में भी उसका हिस्सा बनता है, वह हिस्सा दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उन परिस्थितियों में अब न तो अपील की जा सकती है एवं न ही हो सकती है। अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह आधारहीन है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अतः इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुा अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 11.12.2017 को होना जाहिर किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात प्रकरण में विधिक प्रश्न निहित होने के कारण प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। ग्राम कंटालिया का नामान्तरकरण संख्या 2392 रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 09.02.2010 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दायर किया गया है। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 7 में अंकित प्रविष्ठि अनुसार उक्त भूमि मंगलचंद, रमेशचंद पि0 मिसरीलाल, विद्यादेवी पत्नी मिसरीलाल 1/16 कौम नाई वगैरा की सह खातेदारी भूमि थी। इसमें से विद्यादेवी पत्नी मिसरीलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में हकतर्क कर दिया। यह हकतर्कनामा उप पंजीयक मारवाड़ जंक्शन द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया है तथा उक्त नामान्तरकरण के जरिये विद्यादेवी के स्थान पर रमेशचन्द्र का नाम दर्ज किया गया है। कूननी स्थिति यह बनती है कि क्या पंजिबद्ध दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से Discredit करवाये बिना उक्त दस्तावेज के आधार पर दायर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाना न्यायोचित है अथवा नही ? इस सम्बन्ध में हमारा मत यह है कि हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण की प्रक्रिया एवं वैधानिकता को जांचा एवं परखा जाना है। चूंकि जैर अपील नामान्तरकरण का आधार दस्तावेज उक्त हकतर्कनामा है, जो उप पंजीयक से पंजीबद्ध है। कानूनन जब तक पंजीबद्ध दस्तावेज का सक्षम न्यायालय से Discredit नही करवाया जाता, तब तक उक्त दस्तावेज प्रभाव में है तथा उक्त दस्तावेज की निरन्तरता में की गई कार्यवाही भी शुद्ध समझी जावेगी। अब जहां तक प्रश्न हकतर्कनामा की विधिक स्थिति को जांचने का है, तो यह भी इस न्यायालय के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विरूद्ध भी अपील करनी होती है एवं उस आदेश को निरस्त करवाना होता है। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश को चुनौती नहीं दिये जाने से प्रथम दृष्टया ही अपील पोषणीय नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपील में उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन के आदेश दिनांक 10.09.2012 का उल्लेख किया है। उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन के आदेश दिनांक 10.09.2012, जो नामान्तरकरण अपील संख्या 13/2011 में पारित किया गया है, उस आदेश में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जिस हकतर्कनामा का उल्लेख है एवं अपीलाण्ट जिस नामान्तरकरण को चुनौती दे रहा है, उसमें भी उक्त हकतर्कनामा का उल्लेख है। इस प्रकार अपीलाण्ट को उक्त हकतर्कनामा की जानकारी नामान्तरकरण अपील संख्या 13/2011 के विचारण से ही रही है। विद्यादेवी द्वारा जो हकतर्कनामा निष्पादित किया गया है, उसे निरस्त कराने हेतु अपीलाण्ट ने सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था, जो वाद दिनांक 24.03.2015 को खारिज़ हो चुका है। इन परिस्थितियों में उक्त हकतर्कनामा आज भी प्रभाव में है। अपीलाण्ट ने अपील में जैर अपील वादस्थ भूमि स्वयं एवं अपने पिता द्वारा संयुक्त रूप से क्रय करना बताया, जबकि अपीलाण्ट द्वारा उक्त हकतर्कनामा निरस्ती के वाद के मुख्य परीक्षण में अपना शपथ पत्र दिनांक 31.07.2013 को प्रस्तुत किया, उक्त शपथ पत्र में उन्होने अपनी उम्र 58 वर्ष बताई, जिसकी गणना करने पर वक्त भूमि क्रय करने अपीलाण्ट की उम्र 16 वर्ष होती है, जो नाबालिग अवस्था में आती है, जिसकी आय का कोई साधन नहीं था। उक्त भूमि अपीलाण्ट द्वारा क्रय नहीं की। सम्पूर्ण पैसा अपीलाण्ट के पिता द्वारा लगाया गया था। इस कारण बेचाननामा के आधार पर इस भूमि में अपीलाण्ट का 1/32वां हिस्सा किसी भी आधार पर नहीं बनता है। अपीलाण्ट द्वारा इस अपील में अपनी जिन बहनों को पक्षकार बनाया है, उन बहनों ने भी अपना सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 08.10.2015 को हकतर्क कर दिया है। इस कारण भी अपील पोषणीय नहीं है। अपीलाण्ट ने इस अपील में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के आदेश दिनांक 22.09.2014 का उल्लेख किया है एवं अपनी अपील में यह भी कथन किया कि वह पटवारी के पास गया, तब उसे जानकारी हुई कि उसने तहसीलदार साहब के आदेश दिनांक 22.09.2014 की पालना नहीं की है एवं अपीलाण्ट का हिस्सा दर्ज नहीं किया गया है एवं अपीलाण्ट का हिस्सा दर्ज नहीं किया गया है। अपील में यह भी कथन किए है कि पटवारी ने यह कहा कि जबतक नामान्तरकरण संख्या 2392 को निरस्त नहीं करवाओगे, तब तक तहसीलदार के आदेश दिनांक 22.09.2014 की पालना नहीं करेगा। दिनांक 22.09.2014 के आदेश की पालना पटवारी द्वारा नहीं की जा रही है, तो उस सम्बन्ध में अपीलाण्ट के पास कार्यवाही करने एवं उसकी चाराजोही का अधिकार था एवं इस हेतु वह तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है कि उनके द्वारा दिनांक 22.09.2014 को जो आदेश पारित किया गया है, उसकी पालना करवाई जावे। अपीलाण्ट इस अपील के माध्यम से तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के आदेश दिनांक 22.09.2014 की पालना करवाना चाहता है, जो इस अपील के माध्यम से करवाने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट आदेश दिनांक 22.09.2014 की पालना नहीं होने से स्वयं को व्यथित होना कथन करता है, तो उन परिस्थितियों में वह सिर्फ और सिर्फ आदेश दिनांक 22.09.2014

अति. जिला कलेक्टर, पाली

क्षैत्राधिकार का नही है, क्योंकि यह परीक्षण न्यायालय द्वारा समुचित साक्ष्यों एवं उनके आधार तनकीवार विनिश्चित से अवधारित किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा उप पंजीयक मारवाड़ जंक्शन के समक्ष हकतर्कनामा निष्पादित करते हुए संयुक्त खातेदारी भूमि में से अपने हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में रिलीज की है। जैर अपील नामान्तरकरण को निर्णित करने का मुख्य आधार भी उक्त हकतर्कनामा ही है, जिसे आज तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा Discredit (निष्प्रभावी) घोषित नही किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण पर पारित निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सारहीन होने से खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली